# प्रेस नोट थाना रोजा

## जनपद शाहजहाँपुर पुलिस

### सराहनीय कार्य दिनांक 22.09.2026

## थाना रोजा पुलिस टीम की प्रभावी कार्यवाही, नाबालिग बालिकाओं से छेड़छाड़ व दुष्कर्म के प्रयास के मामले में 03 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन में, क्षेत्राधिकारी सदर के पर्यवेक्षण तथा थानाध्यक्ष रोजा के नेतृत्व में चिन्हित अपराधियों की गिरफ्तारी, वांछित/वारण्टी/जिलाबदर अपराधियों की तलाश एवं गिरफ्तारी, अवैध शराब/शस्त्र/अफीम/चरस के बिक्री-निर्माण की रोकथाम तथा संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग एवं गश्त के क्रम में थाना रोजा पुलिस टीम को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

**संक्षिप्त विवरणः-**

दिनांक 18.09.2026 को वादी द्वारा थाना रोजा पर लिखित सूचना दी गयी कि दिनांक 26.08.2026 को उसकी नाबालिग पुत्री एवं उसकी नाबालिग सहेली ग्राम पैंतापुर से अपने घर आ रही थीं। इसी दौरान विपक्षीगण द्वारा रास्ता रोककर छेड़छाड़ की गयी तथा आईटीआई मोहल्ला स्थित एक कमरे में ले जाकर जबरदस्ती कपड़े उतरवाकर मारपीट करते हुए वीडियो बनाया गया तथा धमकी दी गयी। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना रोजा पर मु0अ0सं0 425/26 धारा 76, 77, 126(2), 115(2), 351(3) बीएनएस व 7/8 पॉक्सो एक्ट बनाम अभिषेक आदि 04 नफर पंजीकृत किया गया। दौराने विवेचना पीड़िताओं के धारा 180 एवं 183 बीएनएसएस के बयानों के आधार पर अभियोग में धारा 70(2) एवं 62 बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी। प्रकरण की गंभीरता के दृष्टिगत थाना रोजा स्तर से पुलिस टीमों का गठन किया गया। इसी क्रम में दिनांक 22.09.2026 को थाना रोजा पुलिस टीम क्षेत्र में शांति व्यवस्था/संदिग्ध वाहन एवं व्यक्तियों की चेकिंग में मामूर थी। इसी दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि उक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त 1. राहुल उर्फ भोले पुत्र रामअवतार उम्र करीब 27 वर्ष, 2. अभिषेक उर्फ ढोलक पुत्र सुनील गुप्ता उम्र करीब 23 वर्ष, 3. रोहित कुमार पुत्र महेशचन्द उम्र करीब 19 वर्ष, निवासीगण मोहल्ला मठिया कालोनी, थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर, ग्राम बल्लिया के निकट पैतापुर रोड स्थित पुलिया के पास खड़े हैं। सूचना पर थाना रोजा पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए उक्त स्थान से तीनों अभियुक्तों को दिनांक 22.09.2026 को समय 14:50 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 70(2)/62, 76, 77, 115(2), 126(2), 351(3) बीएनएस व 7/8 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-**

1.राहुल उर्फ भोले पुत्र रामअवतार उम्र करीब 27 वर्ष निवासी मोहल्ला मठिया कालोनी थाना रोजा जनपद शाहजहाँपुर।

2.अभिषेक उर्फ ढोलक पुत्र सुनील उम्र करीब 23 वर्ष निवासी मोहल्ला मठिया कालोनी थाना रोजा जनपद शाहजहाँपुर।

3.रोहित कुमार पुत्र महेशचन्द उम्र करीब 19 वर्ष निवासी मोहल्ला मठिया कालोनी थाना रोजा जनपद शाहजहाँपुर।

**पंजीकृत अभियोग का विवरणः-**

मु0अ0सं0 425/26 धारा 70(2)/62,76,77,115(2),126(2),351(3) बीएनएस व 7/8 पाक्सो एक्ट, थाना रोजा जनपद शाहजहाँपुर।

## आपराधिक इतिहास राहुल उर्फ भोले का विवरणः-

1. मु0अ0सं0 425/26 धारा 70(2)/62,76,77,115(2),126(2),351(3) बीएनएस व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना रोजा जनपद शाहजहाँपुर।
2. मु0अ0सं0 179/20 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना रोजा शाहजहाँपुर।
3. मु0अ0सं0 386/21 धारा 363,376 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट व 3(2)(v) SC/ST ACT थाना रोजा शाहजहाँपुर।

## आपराधिक इतिहास अभिषेक का विवरणः-

1. मु0अ0सं0 425/26 धारा 70(2)/62,76,77,115(2),126(2),351(3) बीएनएस व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना रोजा जनपद शाहजहाँपुर।
2. मु0अ0सं0 664/23 धारा 4/25 शस्त्र अधि0 थाना रोजा शाहजहाँपुर।
3. मु0अ0सं0 103/24 धारा 379,411 भादवि थाना रोजा शाहजहाँपुर।
4. मु0अ0सं0 224/24 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना रोजा शाहजहाँपुर।
5. मु0अ0सं0 613/25 धारा 60(1) आबकारी अधि0 थाना रोजा शाहजहाँपुर।

## गिरफ्तारी का दिनांक, समय व स्थान:

दिनांक 22.09.2026 को समय करीब 14.50 बजे, बृहद ग्राम बल्लिया के निकट पैतापुर रोड़ पर स्थित पुलिया के पास।

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरणः-

1. थानाध्यक्ष श्री उमेश कुमार मिश्र, थाना रोजा, शाहजहाँपुर
2. उ0नि0 श्री प्रदीप कुमार, थाना रोजा, शाहजहाँपुर
3. हे0का0 587 आशाराम,थाना रोजा शाहजहाँपुर
4. का0 1041 गौरव,थाना रोजा शाहजहाँपुर।
5. का0 2157 विशाल अष्टवाल थाना रोजा शाहजहाँपुर।
6. का0 845 अंकित कुमार थाना रोजा शाहजहाँपुर।
7. का0 529 कार्तिक बालियान थाना रोजा शाहजहाँपुर।